सन ने भारत सरकार से दिल्ली में शुष्क पत्तन के निर्माण के बारे में सिफारिश की है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). दिल्ली में शुष्क पत्तन स्थापित करने के प्रश्न पर विदेशी व्यापार मंत्रालय द्वारा नियुक्त किए गए अंतरमंत्रालय कार्यकारी दल (जिसमें दिल्ली प्रशासन का भी प्रतिनिधित्व था।), ने अपना प्रतिवेदन मई, 1970 में प्रस्तुत किया था। शुष्क पत्तन की व्यावहार्यता तथा अर्थ-क्षमता के अतिरिक्त वित्तीय कठिनाइयों पर भी ध्यानपूर्वक विचार करना आवश्यक है। सरकार प्रतिवेदन पर शीघ्रता से विचार कर रही है।

MR. SPEAKER: Calling attention by Mr. Kanwar Lal Gupta.

SHRI NATH PAI (Rajapur): The All India Railwaymen's Federation is holding a dharna at the Prime Minister's house. Will the Railway Minister make a statement?

MR. SPEAKER: Mr. Nath Pai, I am sorry. . .

SHRI NATH PAI: A statement may be made. It is in protest against the interim relief that is given by the Government and you may ask him to make a statement.

SHRI S. KUNDU (Balasore): I have written to you seeking your permission to raise a point that about hundreds of leaders of the All India Railwaymen's Federation are staging dharna before the Prime Minister's house. . . (*Interruptions*)

श्री रवि राय (पुरी) : अध्यक्ष महोदय, आप रेलवे मंत्री से बयान दिलवाइये।

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): Let the Finance Minister make a statement.

SHRI S. KUNDU: Sir, the empleosyo lower drawn in the scale are paid a paltry sum of Rs. 15/- while people who are getting fat salaries are given a higher interim relief. Therefore, can you ask the Finance Minister or the Prime Minister to make a statement on this?

SHRI S. M. BANERJEE: We request the Finance Minister to make a statement on that. We have already written to you.

MR. SPEAKER: Mr. Nath Pai, what do you want?

SHRI NATH PAI: We would never do anything that interrupts the proceedings of the House. We want your guidance to raise a legitimate grievance of the people.

MR. SPEAKER: Thank you very much. It is a big news for me if you seriously mean it.

श्री शिवचन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रिविलेज . . . .

MR. SPEAKER: I think these things should have been raised after the Calling Attention Motion.

SHRI HEM BARUA (Mangaldai): Somebody was beaten in Maligaon near Gauhati. Sir, will you please ask the Minister to make a statement on it?

SOME HON MEMBERS—*rose*

MR. SPEAKER: After the Call Attention. May I request you to wait till the Call Attention Motion is over? Shri Kanwar Lal Gupta.

12.20 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

DEMAND BY DELHI SCHOOL TEACHERS FOR REVISION OF PAY SCALES

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इसके ऊपर एक वक्तव्य दें :

दिल्ली के स्कूल शिक्षकों की वेतनमानों में संशोधन कराने की कथित मांग ।

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : जैसा कि सदन को विदित है, भारत सरकार ने मई, 1970 में दिल्ली के अध्यापकों के वेतन-मानों को संशोधित करने का निर्णय किया था और वे संशोधित वेतन-मान 27-5-70 से लागू किए गए थे ।

हालांकि संशोधित वेतन-मान पहले से लागू वेतन-मानों से स्पष्टतया अच्छे थे, तथापि वे दिल्ली के प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों को संतुष्ठ करने में असफल प्रतीत हुआ है इसलिए प्राथमिक स्कूलों के अध्यापक पिछले कुछ सप्ताहों से अपने वेतन-मानों में संशोधन की मांग लेकर आन्दोलन कर रहे हैं । इस संबंध में बहुत से शिक्षक-संगठनों ने प्रदर्शन भी किए हैं । दिल्ली के कुछ शिक्षक संगठनों ने भी शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय को अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन दिए हैं ।

जहां तक अध्यापकों के वेतन-मानों के संशोधन का प्रश्न है, उसके बारे में यह अनुरोध किया गया है कि प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों का वेतन-मान माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों और विशेषरूप से हेडमास्टरों और प्रिंसीपलों के स्वीकृत वेतन-मानों से बहुत कम है । यह भी बताया गया है कि वेतन-मानों के संशोधन के बारे में दिल्ली के प्रिंसिपलों और हेडमास्टरों को जो सुविधाएं दी गई हैं; वही प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों को उसी अनुपात में नहीं दी गई हैं । इसलिए, यह मांग की जा रही है कि प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतन-मान और भी संशोधित किए जाएं ।

दिल्ली के प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतन-मानों में और संशोधन करने का प्रश्न सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है ।

श्री कंवरलाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को सुनने के बाद बहुत ही निराशा हुई और मैं यह समझता हूं कि जब इन्होंने यह कहा है कि यह विचाराधीन है तो उसके साथ एक शब्द ऐक्टिव और लगा दिया । तो इस तरह के बयान देकर के क्या आप दिल्ली के 30 हजार अध्यापकों के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं ? उन्होंने यह भी बयान में कहा कि केवल प्राइमरी टीचर्स में कुछ डिससेटिस्फैक्शन है और केवल उन्हीं की कुछ मांग है, यह बात नहीं है । दिल्ली के टीचर्स ने उनको लिखकर के भेजा है । उनकी पांच मांगें हैं । पहली मांग तो यह है कि जब आपने प्रिंसिपल्स का ग्रेड 425 से 700 किया, प्रिंसिपल के ग्रेड में आपने बढ़ोत्तरी 275 रुपये की यानी 65 परसेंट बढ़ोत्तरी की तब प्राइमरी टीचर्स की 118 से 125 की और 126 से 135 की, केवल 6 परसेंट की बढ़ोत्तरी उसमें की । प्रिंसिपल्स के वेतन में 65 परसेंट और प्रायमरी टीचर्स के वेतन में 6 परसेंट, पी.जी.टी. के वेतन में साढ़े 6 परसेंट और ट्रेंड ग्रेज्युएट्स के वेतन में 15 परसेंट की बढ़ोत्तरी यानी कहने का मतलब यह है कि जिनकी तनख्वाह ज्यादा थी उनकी ज्यादा बढ़ाई और जिनकी कम थी उनकी केवल नाम मात्र के लिए बढ़ाई, यह समाजवाद का सही नमूना इस सरकार ने दिया है । कीमतें जैसे बढ़ती हैं तो उसका ज्यादा प्रभाव जो कम वेतन वाले लोग हैं उन पर ज्यादा पड़ता है । इसलिए चाहिए तो यह था कि जिनके वेतन कम हैं उनकी तनख्वाह ज्यादा बढ़ाई जाती और जिनका वेतन ज्यादा है उनकी कम भी बढ़ाई जाती तो कुछ चिंता नहीं होती । लेकिन आपने उलटा किया । जो प्रिंसिपल्स का 65 परसेंट बढ़ाया गया उसके हिसाब से अगर सबका बढ़ाया जाता तो प्राइमरी टीचर्स की तनख्वाह 195 होती, ट्रेंड ग्रेज्युएट्स की 280 होती और पी.जी.टी. की 415 होती । तो उन्होंने पहली मांग यह की है टीचर्स ने कि 195 के बजाय 150 उन्हें दिया जाय । 150 वह

[श्री कंवरलाल गुप्त]

मांगते हैं प्राइमरी टीचर्स, पी.जी.टी. 325 मांगते हैं और इसी तरह से टी.जी.टी. भी थोड़ा सा ज्यादा चाहते हैं। एजूकेशन कमीशन ने भी आपको यह रेकमेंडेशन की है कि किसी भी अध्यापक की कम से कम तनख्वाह 150 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए और दूसरी ऐसी कई स्टेट्स हैं जहां पर कि उन्होंने एक अध्यापक का वेतन कम से कम 150 रुपये रखा है।

दूसरे उनका यह कहना है कि राज्य सभा में यह कहा गया, पेटीशन कमेटी की रिपोर्ट है राज्य सभा की जो राज्य सभा ने पास की है, राज्य सभा की पेटीशन कमेटी की रिपोर्ट को पास करने के बाद भी यह सरकार उस सदन की अवहेलना कर रही है और उसके अनुसार काम नहीं कर रही है। उस रिपोर्ट में यह कहना है कि प्रिंसिपल और टीचर्स की जो पे-स्केल है उसमें ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है इस मामले में, मैं आपकी आज्ञा से उसे पढ़कर सुना देता हूँ :

"In view of the ideal, the Committee recommended that the Government should find out ways and means to remove the grievances of Delhi school teachers arising from the disparity of the pay scales, by increasing the maximum of their pay-scales. Government might also consider whether teachers who have not derived any monetary benefit in the matter of fixation of pay could be given an additional increment as recommended by the Delhi Administration."

इसी तरह से उन्होंने डिफरेंस का भी दिया है :

"The Committee feels that the Government should reconsider the proposal and try to reduce the disparity by granting additional increment as proposed by the Delhi Administration."

अध्यक्ष महोदय, यह रिपोर्ट मई, 1969 में हुई। अब करीब सवा साल बीत गया लेकिन क्या आपने कुछ डिसपैरिटी कम की ? कोई कार्यवाही आपने नहीं की। आज आपने सिर्फ प्रिंसिपल की पे बढ़ा दी थोड़ी-सी, थोड़ी-सी टीचर्स की बढ़ा दी, पांच-पांच छः-छः रुपये, लेकिन इसका क्या एफेक्ट हुआ लोगों पर जो आपने बढ़ाया था ? एक तो डिसकन्टेन्टमेंट हो गया, एजीटेशन शुरू हो गया और जैसा कि टीचर्स के बारे में यह कहते हैं: आपके मंत्री महोदय ने भाषण दिया कि देश के नेता इनके जरिए से बनाए जाएंगे, तो जो टीचर हमेशा केवल रोटी और दाल की सोचता रहे, जिसका दिमाग डिसकन्टेन्टेड हो, फाइनेंशियली ब्रोकेन हो, वह देश के लिए नेता निर्माण नहीं कर सकता। तो मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि यह कहने से काम नहीं चलेगा, आप इस पर अच्छी तरह से विचार कीजिए।

दूसरी उनकी मांग यह है कि आप प्वाइंट टू प्वाइंट फिक्सेशन कीजिए क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं कि जो बहुत आगे तक चले गए हैं, उनकी तनख्वाह बहुत आगे तक चली गई है, तो उनको तो इसका कोई लाभ ही नहीं हुआ। दिल्ली ऐडमिनिस्ट्रेशन ने यह कहा है कि अगर प्वाइंट टु प्वाइंट फिक्सेशन में ज्यादा खर्चा पड़ेगा तो दिल्ली ऐडमिनिस्ट्रेशन अपने ऐडीशनल रिसोर्सेज से देगा। तो राज्य सभा की पेटीशन कमेटी ने भी कहा और दिल्ली ऐडमिनिस्ट्रेशन ने आपके सामने प्रपोज़ल रखा, लेकिन आपने उसका जिक्र तक इसमें नहीं किया।

तीसरी चीज यह है कि हिमाचल प्रदेश और दिल्ली ऐडमिनिस्ट्रेशन दोनों यूनियन टेरीटरीज़ हैं। हिमाचल प्रदेश के टीचर्स को यह बढ़ा हुआ वेतन अप्रैल, 1966 से लागू किया और यहां 27 मई, 1970 से लागू किया। यह बिलकुल पोलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन है। क्योंकि दिल्ली ऐडमिनिस्ट्रेशन जनसंघ के हाथ में है और हिमाचल प्रदेश में नई कांग्रेस का अधिकार है इसलिए यह

पोलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन आपने किया है। उनकी यह मांग है कि दिल्ली का भी वेतन मान 1966 से लागू होना चाहिए।

चौथी मांग यह है—अभी जो वेतन बढ़ाया है उसमें एक प्रिंसिपल दस साल में अपने मैक्सिमम पर पहुंच जायगा, पी० जी० टी० साल में, टी० जी० टी० 19 साल में और प्राइमरी टीचर 24 साल में मैक्सिमम पर पहुंचेगा। . . . (व्यवधान) . . . तो उनकी मांग यह है कि 12 साल के अंदर यानी सबके लिए एक युनिफार्म स्पैन होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए कि किसी का ज्यादा किसी का कम हो।

आखिरी मांग उनकी यह है कि दिल्ली ऐडमिनिस्ट्रेशन बिल आपके पास कई साल से पड़ा है, मेट्रोपोलिटन कौंसिल ने युनानिमसली पास कर दिया। यह ज्यादातर जो प्राइवेट स्कूलों में अध्यापक काम करते हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिये है, लेकिन आप अभी तक उसको सदन में नहीं लाये।

मेरा कहना यह है कि इन पांचों बातों के बारे में मंत्री महोदय बतलायें। कल टीचर्स डा० राव से मिले थे, वहां आपने कहा कि हम प्राइमरी टीचर्स का बढ़ा रहे हैं, लेकिन यहां आप केवल इतना कहते हैं कि यह एक्टिव कन्सीड्रेशन में है। क्या आप उनको बाध्य कर रहे हैं कि वे एजीटेशन करें ? कृपा करके उनको एजीटेशन के मुंह में मत ढकेलिये और दिल्लीवालों को दिल्ली की भाषा बोलने दी जाय, कलकत्ते की भाषा बोलने के लिये मत कहिये।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, माननीय सदस्य ने अपने लम्बे भाषण में कई बातों का एक साथ उल्लेख किया है, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण बातों का उत्तर देने का मैं प्रयत्न करूंगा। सबसे पहले मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि इसमें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। "सक्रिय रूप से विचाराधीन" का मतलब यही है कि अगर दो मिनट बाद भी घोषणा होनेवाली है और उस समय तक वह बात तय नहीं हो पाई है, तो उसको पार्लियामेन्ट्री भाषा में यही कहा जायगा कि सक्रिय रूप से विचाराधीन है। इसमें अधिक देरी होनेवाली नहीं है . . .

श्री रवि राय : इसका मतलब है कि आप दो मिनट बाद घोषणा करनेवाले हैं।

श्री भक्त दर्शन : यह तो मैंने एक उदाहरण दिया है। लेकिन यह मामला करीब-करीब निर्णय की स्टेज में है और इस पर जल्दी ही निर्णय होगा।

मुझे इस बात से हर्ष हुआ कि प्रिन्सपलों के वेतनमानों की बढ़ोत्तरी में जो ज्यादा दिया गया है और दूसरी कैटेगरीज़ से कम दिया गया है—उसके सन्दर्भ में माननीय सदस्य ने समाजवाद का उलहाना दिया। कम से कम इस बहाने तो उन्हें समाजवाद का नाम लेने की प्रेरणा हुई और मुझे हर्ष है कि उनके हृदय में यह भावना जाग्रत हो रही है कि हम को आमदनी के ऊंच-नीच में कमी करनी चाहिये . . .

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : यहां उलटा समाजवाद है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, माननीय सदस्य ने राज्य सभा की पिटीशन कमेटी की रिपोर्ट का उल्लेख किया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि मई, 1969 में वह प्रस्तुत की गई थी और मंत्रालय ने दिल्ली प्रशासन और गृह-मंत्रालय से, जिनका इससे सीधा सम्बन्ध है, इन सब बातों पर विचार किया और जो कुछ भी उसके बारे में सम्भव था, वह किया गया। अगर कुछ कमी है, तो आगे भी उसको किया जा सकता है। . . .

श्री कंवर लाल गुप्त : क्या किया, यह तो बतलाइये ?

श्री भक्त दर्शन : अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य चाहते हैं कि एक-डेढ़ घन्टे में विस्तार से बताया जाय, तो मैं तैयार हूं, लेकिन सदन शायद तैयार नहीं होगा। इसलिये इस समय मैं यही कहना चाहता हूं कि जो कुछ सम्भव था, वह किया गया और आगे भी जो कुछ सम्भव होगा, वह हम करेंगे ।

दूसरी बात माननीय सदस्य ने यह कही कि जबकि हिमाचल प्रदेश में बढ़ा हुआ वेतन अप्रैल, 1966 से लागू किया गया, तो दिल्ली में 27 मई, 1970 से क्यों लागू किया गया ? यह उचित प्रश्न है और उपयुक्त भी है । लेकिन हमें इन दोनों को एक परिस्थिति में नहीं रखना चाहिये क्योंकि इन दोनों की परिस्थितियां भिन्न हैं । हिमाचल प्रदेश में पंजाब का एक बहुत बड़ा हिस्सा—कांगड़ा जिले आदि का मिलाया गया था । अत: जब वे अध्यापक हिमाचल प्रदेश में आये तो उनके वेतन-मानों में बहुत बड़ा अन्तर पड़ गया, क्योंकि पुराने हिमाचल प्रदेश और इस नये हिस्से के वेतन-मानों में अन्तर था, इसलिये उस अन्तर को दूर करने के लिये एक नया हल निकालने का प्रयत्न किया गया ।

लेकिन जब हिमाचल प्रदेश के बारे में यह तय किया गया, उस समय न तो दिल्ली प्रशासन ने कभी कोई सिफारिश की थी कि आप दिल्ली के अध्यापकों के वेतन-मानों को बढ़ाईये और न इस प्रकार की कोई आम मांग ही थी . . .

SHRI KANWARLAL GUPTA: I challenge him. I can quote letters from the Delhi Administration. This is not correct. Let him find out from the records.

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं बहुत सोच समझ कर कह रहा हूं और जिम्मेदारी से कह रहा हूं । मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि उन्हें उत्तेजना में आने की जरूरत नहीं है । उन्होने अपनी बात कह दी है, अब वे मेरी बात सुन लेवें । मैं कह रहा था कि किसी ने कोई अनुरोध नहीं किया था, लेकिन शिक्षा मंत्रालय ने उचित समझा कि दिल्ली और अन्य यूनियन टैरिटरीज के वेतन-मान हमारे केन्द्रीय विद्यालय संगठन तथा तिब्बती स्कूलों के अध्यापकों के वेतन-मान भी बढ़ने चाहिये और तब हमारे विशेष अनुरोध पर कैबिनेट ने इसको मन्जूर किया, फाइनेन्स मिनिस्ट्री ने मंजूर किया और वे लागू हुए । इसलिये दिल्ली पर उस परिस्थिति को लागू करना उचित नहीं है ।

जहां तक दिल्ली एजूकेशन बिल का संबंध है माननीय सदस्य जानते होंगे कि सन 1964 में वह ड्राफ्ट किया गया था, वह ज्वाइंट सिलैक्ट कमेटी के सामने गया, उसमें संशोधन हुए; लेकिन तब तक पार्लियामेंट डिजौल्व हो गई थी; इसलिये वह लैप्स हो गया । जब नये सिरे से उस पर विचार हुआ तो ला-मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री से हमें यह सलाह दी गई कि अब मैट्रोपोलिटन कौन्सिल बन गई है, इसलिये पहले उससे परामर्श लें । तब यह बिल उनको भेजा गया और अभी जुलाई, 1970 में उन्होंने अपने कमेन्ट्स के साथ यूनैनिमसली पास करके उसे भेजा है । हम ने उस को गृह मंत्रालय को भेजा हैं, वहां से वह आने वाला है; उसके बाद लौ-मिनिस्ट्री से वैटिंग करा के, मैं आश्वासन देना चाहता हूं, इस अधिवेशन की समाप्ति से पहले हम उसको यहां पेश करने का प्रयत्न करेंगे ।

श्री कंवर लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, मेरे सभी प्रश्नों का जवाब नहीं आया, प्रिन्सिपलों के बारे में इन्होंने क्या जवाब दिया । मैंने पांच सवाल रखे थे, प्वाइन्ट-बाई-प्वाइंट जवाब आना चाहिये ।

श्री मधु लिमये : (मुंगेर) अध्यक्ष

महोदय, दो बातों पर मैं मंत्री महोदय से सफाई चाहता हूं । जहां तक गैर-बराबरी का सवाल है, आपने समाजवाद के बारे में कंवर लाल गुप्ता जी को ताना मारा, कम से कम मुझे न मारियेगा ।

श्री शशि भूषण (खारगोन) : आप भी संविद में उनके साथी हैं ।

श्री मधु लिमये : संविद में उनके साथी हैं, उससे क्या होता है । हम आपसे समाजवाद नहीं सीखे हैं । सत्ता वहां मिलती है,--इस लिये हमारी पार्टी छोड़ कर वहां गये हैं, ज्यादा बकवास मत करिये . . (**व्यवधान**) . .

श्री शशि भूषण : इनकी पार्टी में मैं कभी नहीं था, मैं चेलेन्ज करता हूं । यह बहुत गलत बात कह रहे हैं . . (**व्यवधान**) . .

श्री मधु लिमये : हम इनसे समाजवाद नहीं सीखे हैं. . . . दल-बदलू. . . .

श्री शशि भूषण : दल-बदलू आप हैं ।...

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बहुत गलत बात की है, इस तरह से टोकने से कुछ मिलने वाला नहीं है । 56 करोड़ रुपये का लाइसेंस बिड़ला को फर्टिलाइजर फेक्ट्री के लिये दिया है—यह इन का समाजवाद है ।

श्री मधु लिमये : आप इनको कहिये—अगर यह टोकेंगे तो मैं इसी तरह से जवाब दूंगा ।

श्री शशि भूषण : जब मैं भी जवाब देता हूं तो इनको तकलीफ क्यों होती है . . .

श्री मधु लिमये : मैं मिनिस्टर से कह रहा था, इन्होंने क्यों टोका ?

अध्यक्ष महोदय : इनको टोकना नहीं चाहिये था और आपको भी अपने शब्द वापस लेने चाहिये ।

श्री मधु लिमये : यह एक दफा नहीं, बार-बार ऐसा करते हैं । आप जानते हैं कि मैं मिनिस्टर साहब से कह रहा था । मैं इनसे कोई झगड़ा नहीं करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप से उम्मीद नहीं करता था कि आप ऐसे शब्द इस्तेमाल करेंगे ।

श्री मधु लिमये : कई दफा बरदाश्त किया है ।

अध्यक्ष महोदय : उस का असर हो गया है, अब आप वापस ले लीजिये, वह अन-पार्लियामेन्ट्री है । मैं आप से और सारे मेम्बरों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जब एक मेम्बर बोलता हो, तो उस दरमियान में न बोलिये । रिटार्ट उसी के साथ करना चाहिये, जो उसको बरदाश्त करले, जो बरदाश्त न करे, उससे रिटार्ड करने से कोई फायदा नहीं है ।

श्री शशि भूषण : मैं हमेशा बर्दाश्त करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आपका कम करते हैं, इसलिए आप इनको मत छेड़ा करें । जहां आपकी बनती है, वहां छेड़ लिया करें ।

श्री मधु लिमये : मैं मंत्री महोदय से यह पूछ रहा था कि विभिन्न वेतन श्रेणियों में कितना अन्तर रहना चाहिये—इसका समाजवादी आदर्शों से कुछ न कुछ तो संबंध है, मैं समझता हूं कि बहुत बुनियादी संबंध है—तो क्या वह सरकार की नीति के बारे में घोषणा करेंगे कि कितना फर्क वह जायज, योग्य समझते हैं और क्या उसी के अनुसार प्रिन्सिपलों के वेतन में 275 रु० की वृद्धि और प्राथमिक शिक्षकों के वेतन में 7 रु० की वृद्धि जायज है ? यदि जायज लगती है तो वैसा कहें, नहीं तो यहां साफ आश्वासन दें कि आप जो पुनर्विचार कर रहे हैं उसमें राज्य सभा ने जो सिफारिश की है और समाजवाद के साधारण सिद्धांतों के अनुसार आप उस पर पुनर्विचार करेंगे ।

[श्री मधु लिमये]

दूसरी बात—मुझे याद है डा० त्रिगुण सेन ने यहां पर साफ शब्दों में आश्वासन दिया था कि हिमाचल प्रदेश हो या दिल्ली प्रदेश हो, कोई फर्क नहीं किया जायगा। इनके मनमें जो भी हो, लेकिन बार बार हमारे मन पर यह असर होता है कि मणिपुर के बारे में एक तरह की नीति, हिमाचल प्रदेश के बारे में दूसरी तरह की नीति और दिल्ली के बारे में जहां इनके दल का शासन नहीं है, तीसरी तरह की नीति बरती जाती है। किसी भी दल का शासन हो, इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिये। डा० त्रिगुण सेन ने इस सदन में यह आश्वासन दिया था कि जिस तारीख को नई वेतन श्रेणियां हिमाचल प्रदेश या दूसरे केन्द्र शासित इलाकों में लागू की जायेंगी, उसी तारीख को दिल्ली में भी लागू की जायेंगी। तो क्या अब जो पुर्नविचार आप करने जा रहे हैं, उसमें इस बात पर पुर्नविचार करेंगे?

श्री **भक्त दर्शन**: श्रीमन, माननीय मधु-लिमये जी ने जो प्रश्न उठाया है कि प्रिन्सि-पलों अथवा पी० जी० टी० और प्राथमिक शिक्षकों के वेतन मानों में इतना अन्तर नहीं होना चाहिए मैं इस बारे में उनसे सहमत हूं और इसीलिए हम प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन एक बार जब किसी का वेतनमान बढ़ जाता है तो वह घटाया जहीं जा सकता है। अतः जो नीचे हैं, हम उनको ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि हम परा-मर्श कर रहे हैं वित्त मंत्रालय से और. . . **(व्यवधान)** . . . सेशन के अन्त तक नहीं, मुझे तो आशा है कुछ दिनों में ही एलान कर सकेंगे।

जहां तक डा० सेन के आश्वासन का सम्बन्ध है, मुझे स्मरण नहीं है कि उन्होंने यह कहा होगा कि दोनों एक साथ लागू किये जायें, यह हो सकता है कि समान वेतन क्रमों की बात कही हो। और जहां तक वेतन-क्रमों में समानता का प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के वेतन-क्रमों में कोई फर्क नहीं रखा गया है। फर्क केवल लागू करने के बारे में है जैसा कि मैंने श्री कंवरलाल गुप्त के प्रश्न के उत्तर में बताया, कि वहां की समस्या दूसरी थी, पंजाब से आये हुए अध्यापक वहां पर मौजूद थे, जिनके लिए नये वेतन क्रम लागू करने थे, जिनको कि घाटा हो रहा था। इसलिए वहां की विशेष परिस्थिति की वजह से यह सोचा गया कि उनके वेतनमान दो वर्ष पहले से लागू किये जायें। इसलिए मैं अनु-रोध करूंगा कि इसमें डा० सेन के आश्वासन का कोई हनन नहीं हुआ है बल्कि जो कुछ किया गया है वह उचित ढंग से किया गया है।

श्री शशि भूषण: अध्यक्ष महोदय, दो अक्तूबर से श्री जगदीश पंकज तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल पर हैं। 22 अक्तूबर से राजेन्द्र जी भूख हड़ताल पर तिहाड़ जेल में है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब टीचर्स की बातें उठाई गई हैं तो दिल्ली के सभी शिक्षकों की बातें उठानी चाहिए थीं। यह भी सही है कि दस-दस हजार, पन्द्रह-पन्द्रह हजार शिक्षकों ने दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ डिमांस्ट्रेशन किया है। बात साधारण सी है। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने कारपोरेशन के कुछ टीचर्स को जो कि हाईस्कूल थे उनको ले लिया और कारपोरेशन के जो पढ़े लिखे शिक्षक उनमें एम. ए. पास भी हैं उनकी तरक्की का रास्ता रुक गया। उनकी इतनी डिमांड है कि उन दोनों को एक साथ कर दिया जाये लेकिन केवल इतनी डिमांड भी दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं मानी और वे शिक्षक आज जेल में भूख हड़ताल से मरने जा रहे हैं। उनकी रक्षा होनी चाहिए। इसमें किसी के खिलाफ कोई बात नहीं है। हम चाहते हैं उनसे फौरन समझौता होना चाहिए और उनको बाहर लाना चाहिए।

जहां तक वेतन में अन्तर का सवाल है, हमारी सरकार में 100 रु. और 5000 रु.

का वेतन में अन्तर है जो कि बहुत ज्यादा है और उसको कम होना चाहिए। शिक्षकों में एक नया क्लास बनाया जाये, एक को कम रहने दिया जाए और एक को ज्यादा तो यह बहुत गलत बात है। यह बात समाजवादी सिद्धांत के खिलाफ़ है, यह बात सही है लेकिन हमारे देश में तो समाजवाद अभी 5 परसेंट भी नहीं है। इसलिए समाजवाद को कायम करने के रास्ते में जो रोड़े अटकाते हैं उनको उसमें सहयोग देना चाहिए। मैं सरकार से भी यह कहना चाहता हूं कि जब आप शिक्षकों के सम्बन्ध में कोई निर्णय लेते हैं तो उनके जो संगठन हैं उनसे अगर आप बातचीत कर लें तो यह झगड़ा कभी आगे नहीं बढ़ेगा। आज एल० आई० सी० में वहां के वर्कर्स को रिप्रेंजेन्टेशन मिल रहा है, और बैंक्स में मिलने जा रहा है तो फिर शिक्षकों के संगठन को मान्यता देकर उनसे सलाह करने में क्या एतराज हो सकता है? अगर आप उनसे सलाह ले लेते तो यह झगड़ा नहीं बढ़ता। मुझे खुशी है कि आपने आश्वासन दिया कि अब यह अन्तर बहुत जल्दी कम करेंगे। . . . **(व्यवधान)** . . . आखिर में मैं यह कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में जो पहले से दे दिया गया है तो इसमें भी आप थोड़ी सी अवधि और दे दीजिए जबकि आप फ़िर से निर्णय लेने जा रहे हैं। इस प्रकार शिक्षकों में जो असंतोष है वह खत्म हो सकता है। सबसे पहले जो मसला है जिसको कि मैं दबी आवाज में नहीं बल्कि जोर से कह रहा हूं और जिसको कि कंवरलाल जी को भी कहना चाहिए था कि जो शिक्षक जेल में है, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ भूख हड़ताल कर रहे हैं दो अक्तूबर से लेकिन उनके सम्बन्ध में उन्होंने कुछ नहीं कहा। आप सारे शिक्षकों के सम्बन्ध में पूरा निर्णय लीजिए, शिक्षक संगठन को बुला कर उनसे बातचीत कीजिए। क्या आप उनसे बातचीत करने के लिये तैयार हैं और उनके संगठन को मान्यता देने के लिए तैयार हैं—यह मैं सरकार से जानना चाहता हूं।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, जहां तक कि दिल्ली म्यूनिसिपल कार्पोरेशन के प्राथमिक अध्यापकों का सम्बन्ध है, इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं कि जब से उनके विद्यालय दिल्ली प्रशासन को हस्तांतरित हुए, तबसे उनकी तरक्की के रास्ते कुछ बन्द हो गए हैं। पिछले दिनों जो आन्दोलन शुरू हुआ, जैसे कि पंकज जी की भूख हड़ताल है और सिंहल जी की भूख हड़ताल है उसका मुख्य आधार, जैसा कि हमें मालूम हुआ है, वह यही है कि उनके रास्ते चूंकि बन्द हो गए है, इसलिए दिल्ली प्रशासन को कोई तरीका निकालना चाहिए, क्योंकि म्युनिसिपल कार्पोरेशन में अगर वे शिक्षक रहते, तो उनको लगातार तरक्की मिलती जाती. . **व्यवधान. .**

SHRI KANWAR LAL GUPTA: He is unnecessarily interfering in the affairs of the Delhi Administration and the Delhi Corporation. Can you suggest any via media legally for it? Are you prepared to suggest any via media? You know it is intentionally twisting the facts to malign the Delhi Administration. It is wrong; it is absurd.

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य को उत्तेजित नहीं होना चाहिए और उन्होंने जो "एब्सर्ड" शब्द कहा है, उसको वापिस लेना चाहिए।

SHRI KANWAR LAL GUPTA: I repeat it. It is absurd.

MR. SPEAKER: "Absurd" is not unparliamentary, but it is not in good taste. (*Interruption*). It is not in good taste. It only reflects that the Member is so impatient and so intemperate in his language. I am very sorry. . . (*Interruption*). . .

श्री भक्त दर्शन : स्पीकर महोदय ने जो रूलिंग दी है वह मुझे मान्य है; लेकिन मान ीय सदस्य अब संयम से काम लें। **व्यवधान. .**

श्री बलराज मधोक : हम चाहते हैं कि वह मामला हल हो लेकिन आपके पास कोई सुझाव हो तो बताइये।

श्री भक्त दर्शन : आप मुझे बोलने का समय तो दीजिए। इस समय जो मांग रखी गई है उसमें मुख्य मांग यही थी कि उनके तरक्की के जो रास्ते बन्द हो गए हैं उनको खोल दिया जाये, उनके लिए कुछ सीट्स रिजर्व कर दी जायें। जिस दिन उनका डेपुटेशन मुझ को मिला उसी दिन मैंने ले० गवर्नर महोदय को पत्र लिखा कि उनकी मांगों पर विचार किया जाये। उनका एकनौलेजमेंन्ट आया और उसके बाद पत्र भी आया। मुझे खुशी है कि दिल्ली प्रशासन ने नियमों को कुछ लिबरलाइज किया है और एक नोटिफिकेशन भी निकाला है और उसमें कुछ छूट देने की कोशिश की है। लेकिन उसके बाद भी जब अध्यापक संतुष्ट नहीं हुए और जब प्रो० राव पेरिस की यात्रा से वापिस आये तो उन्होंने श्री मलहोत्रा जी को पत्र लिखा कि हमारी नजर में यह उचित मालूम होता है कि उनके लिए कोई रास्ता निकाला जाये, और उनके लिए कुछ सीट्स रखनी चाहिए, आप कुछ ओपेन मार्केट से लीजिए और कुछ सीट्स इनके लिए रखिए। लेकिन हमें कल जो खबर मिली है और जो उत्तर मिला है मुख्य कार्यकारी पार्षद का और डायरेक्टर आफ एजूकेशन का जिसमें उनका कहना है कि उन्होंने अपने दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की लौ मिनिस्ट्री को कंसल्ट किया है और वे कहते हैं कि यह डिस्क्रिमिनेशन होगा। एम्पलायमेंट एक्सचेंज से लेना जरूरी है, वरना वह अल्ट्रावायर्स हो जायेगा। इसलिए अब उन्होंने होम मिनिस्ट्री को रेफर किया है। होम मिनिस्ट्री से शायद अभी कोई संकेत नहीं गया है कि क्या करना चाहिए। यह मैं दिल्ली प्रशासन की बात बतला रहा हूं। दिल्ली प्रशासन ने उस पर विचार किया, लिबरलाइज किया, लेकिन उससे भी प्राथमिक अध्यापक संतुष्ट नहीं हुए हैं।

जहां तक श्री पंकज और श्री सिंहल के उपवास का संबंध है, जब मुझको अध्यापक मिले थे तो मैंने शिक्षकों से अपील की थी कि यह आमरण अनशन आप समाप्त कीजिए क्योंकि यह प्रश्न केन्द्रीय सरकार के सामने विचाराधीन और संसद के सामने है। आज इस अवसर का लाभ उठा कर मैं उनसे पुनः अपील करता हूं कि उनको अपने हड़ताल के अस्त्र को समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि उनका जीवन खतरे में है। वे अच्छे कार्यकर्ता हैं, और अच्छे अध्यापक हैं। अगर वे अपनी हड़ताल समाप्त कर देंगे तो मुझे आशा है कि उनकी बहुत सी समस्यायें हल हो जायेंगी।

जहां तक शिक्षण-संस्थाओं से बातचीत करने का सवाल है, मैं शशिभूषण जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अध्यापकों की भावनाओं और उनके विचारों का हमने हमेशा ही स्वागत किया है, लेकिन मुझे क्षमा किया जाये यह कहने के लिये कि दिल्ली में ही नहीं, सभी जगह शिक्षकों के कई पैरेलल आर्गेनाइजेशन्स हैं। शिक्षकों के कम से कम चार पांच डेपुटेशन्स शिक्षा मंत्री और मुझसे मिल चुके हैं। प्रधान मंत्री तक भी वे पहुंचे हैं। उनके साथ हमने बड़े आदर और सम्मान के साथ बातें की हैं और उनको आश्वासन दिया है कि नियमों के अन्तर्गत हमारा मंत्रालय और हम जो कुछ भी कर सकते हैं वह हम करेंगे।

जहां तक हिमाचल प्रदेश का प्रश्न है मैं दोबारा विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश और दिल्ली को एक साथ न मिलाइये। समान वेतन-क्रम तो हमने जरूर कर दिए हैं लेकिन उनको एक साथ पहले से लागू करना हमारे लिए सम्भव नहीं होगा। . . . **(व्यवधान)** . . .

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात तीन प्रश्नों के रूप में रखना चाहता हूं। मैं समाजवाद की दुहाई देकर इस अन्तर को नहीं कहना चाहता जोकि आपने स्वयं स्वीकार किया

है कि यह अन्तर बहुत बड़ा है और यह खाई पटनी चाहिए। लेकिन वेतनमान के अतिरिक्त भी शिक्षकों के संबंध में जो तीन प्रश्न हैं वह मैं आप से पूछना चाहता हूं। एक तो यह कि शिक्षण सेवा जो दिल्ली की है इस समय तीन संगठनों के हाथ में है। कुछ शिक्षा सेवाएं नगर निगम के हाथ में हैं, कुछ शिक्षा सेवाएं महानगर परिषद् के हाथ में हैं जबकि कुछ शिक्षा सेवाएं केन्द्रीय सरकार के हाथ में हैं, जोकि विश्वविद्यालय स्तर की हैं। एक तो शिक्षकों की मांग यह है कि यह शिक्षा सेवाएं अलग-अलग हाथों में न हों अपितु यह शिक्षा सेवाएं किसी एक संगठन के हाथ में हों तो इसके सम्बन्ध में आपका क्या विचार है?

दूसरी बात में यह जानना चाहता हूं कि क्या अभी तक दिल्ली के अन्दर जो कि भारत की राजधानी है और जहां के शिक्षक और उनकी सेवाएं एक आदर्श होनी चाहिएं देश के दूसरे राज्यों के लिए। क्या अभी भी इस प्रकार के शिक्षक दिल्ली में हैं जो 10–10 और 15–15 वर्ष से सेवा में हैं और जिनको कि स्थायी नहीं किया गया है तो आपने क्या पता लगाया है कि इस प्रकार की अवैधानिकता दिल्ली के शिक्षा विभाग में क्यों चल रही है?

तीसरी चीज जो दिल्ली के अध्यापकों की मांग है दिल्ली महानगर परिषद् ने जो विधेयक पास करके केन्द्रीय सरकार के पास भेजा है जिसमें उनकी सेवाओं और सुरक्षा की बातें हैं और दूसरी सुविधाओं सम्बन्धी बातें हैं तो उस विधेयक को कब तक आप संसद में विचार के लिए प्रस्तुत करेंगे?

श्री भक्त दर्शन: श्रीमन्, इसमें कोई संदेह नहीं कि दिल्ली में प्रशासन तीन प्रकार से चल रहा है, दिल्ली प्रशासन अलग है, नई दिल्ली नगरपालिका अलग है और दिल्ली महा-नगरपालिका अलग है। अब जब तक ये तीनों संस्थाएं मौजूद हैं तब तक कुछ न कुछ अन्तर तो रहेगा ही, कुछ झगड़े भी रहेंगे ही। अगर मेरा व्यक्तिगत बस चले तो हो सकता है कि इन तीनों का एकीकरण हो, लेकिन यह संसद के हाथ में है और यह कोई साधारण बात नहीं है। यह तीनों संस्थाओं का एकीकरण कैसे किया जाय? आजकल के हालात में तो उनको अलग रहना ही होगा।

दूसरी बात शास्त्रीजी ने रक्खी कि 10–10 और 15–15 साल से अध्यापक सेवा में हैं लेकिन वे अभी स्थायी नहीं हुए हैं, तो जो मुझे आज यह सूचना मिल रही है। मैं इसको दिल्ली प्रशासन के नोटिस में लाऊंगा और उनसे इस पर विचार करने के लिए कहूंगा कि अध्यापकों को किस तरह से स्थायी किया जाय।

तीसरी बात दिल्ली एजूकेशन बिल के सम्बन्ध में है। मैं श्री कंवर लाल गुप्त के प्रश्न के उत्तर में बतला चुका हूं कि महानगर परिषद् ने जुलाई 1970 में उसे स्वीकार करके हमारे पास भेजा था हमने उसे गृह मंत्रालय के पास परामर्श के लिए भेजा है, वहां से आते ही हम उसकी वैटिंग लॉ मिनिस्ट्री के परामर्श से करेंगे और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस अधिवेशन की समाप्ति के पहले ही उसे पेश कर दिया जाय, ताकि यहां के अध्यापकों की सेवायें सुरक्षित हो जायें।

SHRI M. L. SONDHI (New Delhi): The minister is a very able advocate of a very poor cause. May I commend to him an article in today's *Hindustan Times* entitled "Primary Teacher: A living Symbol of Neglect"? I would like to congratulate the person who has written it, Mr. Qureshi. From a perusal of that article it appears clearly that there is a credibility gap as far as the assurances of the Central Government to the teachers are concerned. Dr. Triguna Sen had said very clearly that the same benefits would be given to teachers in Delhi as in other Union Territories. But today we find that the effect of the new pay scales announced is—after all, the proof of the pudding is in the eating—not even a sum of Rs. 10 has been addred to the pay packet of the teachers. There has been no recruitment for the last

[Shri M. L. Sondhi]

three years in this area. The net effect is not even Rs. 8 as Mr. Limaye said, but it is only Rs. 3 or Rs. 4. The minister is saying about others, but I would ask him to search his heart and find out whether he himself could not bring some solace to the teachers. He can provide them medical facilities by asking the CGHS to do it. He can give them housing facilities by asking the CPWD to do it. There are the NDMC teachers directly under him. He should open up their channels of promotion which have been blocked, about which Mr. Shashi Bhushan feels so much. He feels so much about the Corporation teachers but not about the NDMC teachers directly under him. I would request the minister to give an assurance here and now that these new pay scales will be widened to the extent the primary teachers have been asking for, *i.e.* Rs. 200 to Rs. 400. Let him do it at one stroke and create a new environment. Otherwise, I would regratfully conclude that somebody in the bureaucracy wants to bring the headmaster and the teacher in the same relationship, which exists in the Government offices betwen the Secretary and the chaprasi. I would like the chaprasi to come up and become more respectable to society. But you are downgrading the teachers to the level of the chaprasi. That is a shame on your Government and it can never enjoy the name it wants to enjoy in the comity of nations. There is no use of Dr. V.K.R.V. Rao going to the UNESCO if this is the hard reality. I commend this article; it is a mirror and the face you see in it, I am afraid, in spite of your sweet words, is not a very bright one.

SHRI BHAKT DARSHAN: Sir, may I start by giving my respectful compliments to the hon. Member for the interesting and invigorating speach which he made? He will be glad to know that I have already gone through this article. It does not add anything more to our knowledge. All the things are well known; everybody knows them. Only the writer has put them in a rather pungent and attractive manner. I am thankful to my hon. friend for having invited my attention to it.

As regards Dr. Sen's assurance, I have already made it clear that the only assurance that was given was that the pay scales of teachers in the Union Territories would be uniform. That assurance has been honoured. The pay scales of the teachers of Delhi and Himachal Pradesh are exactly similar. In fact, the announcement was simultaneously made. The only difference lies with respect to retrospective effect, which has not been agreed to by the government.

श्री रवि राय: उस का क्या कारण है ?

श्री भक्त दर्शन: हिमाचल प्रदेश की स्थिति बिलकुल दूसरी थी, जबकि दिल्ली की स्थिति उस से भिन्न है। लेकिन यह सब बतलाने पर भी माननीय सदस्य को संतोष न हो तो उसके लिए मैं कैसे जिम्मेदार हो सकता हूं ?

As far as the amenities for the teachers are concerned, I am one with the hon. Member that we should examine this question as to what further facilities and amenities can be provided to the teachers. We will take it up with the other departments and the Delhi Administration. This is a very good suggestion and I welcome it.

Then he wants to extract an assurance from me. I am sorry that I am not in a position to give him an assurance on this occasion because his demand is that the pay scales of the primary school teachers should be raised to start with Rs. 200 and go up to Rs. 400. This is the first time that I am hearing about it. Even the Education Commission has recommended that the basic pay should be raised to Rs. 150. The Delhi Administration has recommended to us that it should start with Rs. 150 instead of Rs. 135, as at present. We have taken up the matter with the Finance Ministry and I hope that a decision would be taken quite soon.

12.58 hrs.

QUESTION OF PRIVILEGE *RE.* ALLEGED MANHANDLING OF SHRI K. M. KOUSHIK BY POLICE AT NAGPUR RAILWAY STATION

MR. SPEAKER: We will now take up the question of privilege raised by Shri K. M. Koushik. I have received a communication